

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 30 मई, 2018

विषय :- आगरा में जल सम्पूर्ति (गंगाजल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स तक उ०प्र० जल निगम आगरा द्वारा विछाई गयी पाइपलाइन में प्रयुक्त अतिरिक्त 10.22375 हे० आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।?

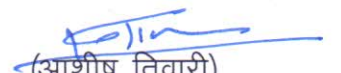
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी/08/33/2018/एफसी/121 दिनांक 21.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-5089/आगरा/32379/2018 दिनांक 29.05.2018 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं/अभिलेख 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 29.05.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं/अभिलेख की एक प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

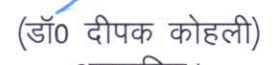

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-2171(1)/14-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(डॉ० दीपक कोहली)
अनुसचिव।